समाहरणालय, मधुबनी

(जिला योजना कार्यालय)

स्वीकृत्यादेश

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत माननीय श्री नीतीश मिश्रा के द्वारा अनुशंसित [illegible] का विस्तृत प्रतिवेदन (DPR) विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, झंझारपुर से झंझारपुर [illegible] के अंतर्गत तकनीकी [illegible] प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है के आलोक में निम्नांकित [illegible] के सामने अंकित तकनीकी स्वीकृति की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है तथा [illegible] कार्यकारी विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, झंझारपुर को दिया जाता है। जो निम्न प्रकार है :

वित्तीय वर्ष 2014–15 (राशि रूपये में)

क्र0	प्रखंड का नाम	योजना का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	उपावंटित राशि कॉलम 5 का 80 प्रतिशत	योजना सं0 / वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
	झंझारपुर	झंझारपुर प्रखंड के अंतर्गत [illegible] में 16 के0वी0ए0 का जले हुए ट्रांसफार्मर के स्थान पर 63 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन कार्य।	105032.00	105032.00	84025.00	[illegible]
	लखनौर	लखनौर प्रखंड के अंतर्गत इन्द्रा चौक लखनौर में 25 के0वी0ए0 का जले हुए ट्रांसफार्मर के स्थान पर 100 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन कार्य।	135174.00	135174.00	108139.00	
	[illegible]	मधेपुर प्रखंड के अंतर्गत [illegible] में 25 के0वी0ए0 का जले हुए ट्रांसफार्मर के स्थान पर 100 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन कार्य।	136686.00	136686.00	109348.00	
	कुल		376892.00	376892.00	301512.00	

कुल विमुक्ति राशि -- तीन लाख एक हजार पाँच सौ बारह रूपये मात्र।

- *कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–02, झंझारपुर को निदेश दिया जाता है कि कॉलम 05 में अंकित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि का 80 प्रतिशत राशि कॉलम 06 में अंकित उपवांटित राशि मो0 -- 301512.00 रूपये मात्र विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, झंझारपुर को राशि विमुक्ति करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। शेष 20 प्रतिशत राशि कार्य पूर्ण के उपरांत अधोहस्ताक्षरी के स्वीकृति आदेश के उपरांत विमुक्त किया जायेगा।*
- शर्तें :-

1. कार्यकारी एजेंसी परियोजनाओं / योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से प्राक्कलन के विशिष्टता के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे तथा इसके लिए वे पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
2. कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजनाओं का कार्यान्वयन किसी अन्य मद से नहीं [illegible] रहा है।
3. कार्यकारी एजेंसी कार्य स्थल पर साईन बोर्ड, कार्य प्रारंभ होने के साथ लगायेंगे जिसमें [illegible] मद का नाम, अभिकर्त्ता का नाम, योजना प्रारंभ होने की तिथि, योजना पूर्ण होने की तिथि परियोजना / योजना की प्राक्कलित राशि एवं योजना की एकरारनामा की राशि आदि अंकित रहेंगे।
4. कार्यकारी एजेंसी परियोजना / योजना प्रारंभ किये जाने के पूर्व परियोजना / योजना स्थल का फोटोग्राफ / वीडियोग्राफी करायेंगे और इसे अभिलेख में रखेंगे। एवं एक फोटोग्राफ्स जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
5. योजना कार्य निविदा की तिथि से 06 माह के अन्दर पूर्ण करा ली जाय।
6. कार्यकारी एजेंसी कार्य प्रारंभ होने के पश्चात प्रत्येक माह के दूसरी तारीख तक प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. कार्यपालक अभियंता, PWD कोड के सारे नियमों का अनुपालन करते हुए DPR (प्राक्कलन) के विशिष्टियों के अनुसार हर हालत में कार्यान्वयन करायेंगे।
8. कार्यकारी एजेंसी किसी भी [illegible]

9. कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता लगातार योजना का निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे एवं योजना के गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेवार होंगे।

10. योजना का पूर्णता प्रमाण–पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र सक्षम प्राधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

11. योजना के पूर्ण होने के बाद संबंधित प्रशासी विभाग को योजना के संधारण हेतु हस्तानांतरित करेंगे।

12. इस कार्यक्रम के तहत सामग्रियों एवं सेवा के क्रय तथा अधिप्राप्ति के मामले में बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण अनिवार्य होगा।

13. कार्यकारी एजेंसी संवेदक को कार्य प्रारंभ होने से पूर्व Structural Design उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

14. किसी भी योजना का Duplication नहीं हो।

15. योजना पूर्ण होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्य अभियंता (ग्रा0वि0) नार्थ बिहार एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना द्वारा संबंधित जिले के कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, को उपलब्ध कराया जायेगा, साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि से पूर्व में प्राप्त राशि के शेष राशि की मांग उनके द्वारा की जायेगी।

जिला योजना पदाधिकारी
मधुबनी।

ज्ञापांक : 24 / जि0यो0, मधुबनी, दिनांक : 09 / 01 / 2015 ई0।

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–02, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि की निकासी संबंधित कोषागार से पूर्ण प्रमाणक युक्त विपत्र BTC-25 पर की जायेगी। पूर्ण प्रमाणक विपत्र के साथ प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश, एकरारनामा के प्रति एवं कार्यकारी एजेंसी के कार्यपालक अभियंता से 80 प्रतिशत राशि का पूर्व प्राप्ति रसीद प्राप्त कर संलग्न किया जायेगा। तत्पश्चात उल्लेखित योजना के सामने स्तंभ 06 में उपावंटित 80 प्रतिशत राशि का डिमांड ड्राफ्ट /RTGS के माध्यम से निम्न खाता संख्या में भेजना सुनिश्चित करेंगे। जो इस प्रकार है :–

Name fo Account – NBPDCL Diposite Work Account
SB A/C NO- 0352101042061
IFSC Code – CNRB0000352
Bank's Name- Canara Bank, South Gandhi Maidan Branch, Patna and
Bank Draft के माध्यम से – North Bihar State Power Distribution Company Limited
Payable at patna के स्थानीय विद्युत कार्यपालक अभियंता को राशि भेजी जायेगी।

प्रतिलिपि – विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, झंझारपुर डिमांड ड्राफ्ट / RTGS प्राप्ति रसीद की छायाप्रति स्थानीय कार्यालय से प्राप्त कर स्वीकृत प्राक्कलन के प्रति के साथ मुख्य अभियंता (ग्रा0वि0) एन0बी0पी0डी0सी0एल0, पटना को रसीद निर्गत करने हेतु भेजा जाय।

प्रतिलिपि – जिला पदाधिकारी, मधुबनी को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर / प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुर / झंझारपुर / लखनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – आप्त सचिव, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि माननीय मंत्री महोदय को संसूचित करने की कृपा की जाय।

जिला योजना पदाधिकारी,
मधुबनी।

09/1/15